न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर
महेश कुमार V/S मांगीलाल आदि
प्रा०प० स्थानान्तरण प्र०सं० 22/2025

10.02.26

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी संख्या 1,3,5,7 व 8 उपस्थित। वकील प्रार्थी व शेष अप्रार्थीगणों को आवाज लगवाई गई। लेकिन हाजिर नहीं आये हैं। उपस्थित वकील अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। उपस्थित अधिवक्तागण अप्रार्थी ने अभिकथन किया है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलम्बित करने के उद्देश्य से यह मुंतकिली आवेदन पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित वकील अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण दर्ज हुए एक वर्ष से अधिक अवधि हो चुकी है। परन्तु वकील प्रार्थी बहस के लिए न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे उनकी मंशा विचाराधीन प्रकरण को विलम्बित किये जाने की प्रतीत होती है।

अतः यह प्रार्थना पत्र मुंतकिली वकील प्रार्थी की अनुपस्थिति में एकतरफा सुना जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर